सं. ए-11034/8/2024-प्रशिक्षण
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

प्रशिक्षण प्रभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
दिनांक: 09-10-2024

सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे नए विकास तथा प्रतिदिन उत्पन्न हो रही नई चुनौतियों के मद्देनजर, यह आवश्यक है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए तथा उन्हें अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए सुदृढ़ और सक्षम नेतृत्व प्रदान किया जाए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस उद्देश्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान (एनआईएफएचडब्ल्यू), नई दिल्ली में निदेशक के मौजूदा पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में, हितधारकों से सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए भर्ती नियम प्रारूप तैयार कर लिए गए हैं तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं।

2. यह ध्यान देने योग्य है कि भर्ती नियम प्रारूप को टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 30 दिनों से अधिक समय के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। तथापि, भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने के लिए संस्थान के शासी निकाय के समक्ष भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को रखने से पूर्व, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचना की तिथि से पंद्रह दिनों की विस्तारित अवधि के लिए इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हों, आमंत्रित की जाती हैं। इस विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा नियमों/आवश्यकताओं के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. आमंत्रित की गई टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या 504-ए, ए विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 में प्रस्तुत की जा सकती हैं और सॉफ्ट कॉपी sushil.mishra@nic.in पर भेजी जा सकती है।

(सुशील कुमार मिश्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23062959

सं. ए-11034/8/2024- प्रशिक्षण
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)
प्रशिक्षण प्रभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक: 22-08-2024

अधिसूचना

जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे नए घटनाक्रमों के आलोक में प्रतिदिन उभरती हुई नई चुनौतियों को देखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि जन स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ किया जाए और उन्हें अपेक्षाकृत अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए मजबूत और सक्षम नेतृत्व प्रदान किया जाए। इस उद्देश्य के साथ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान (एनआईएफएचडब्ल्यू), नई दिल्ली में निदेशक के मौजूदा पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में, हितधारकों से इनपुट आमंत्रित करने के लिए भर्ती नियमों का मसौदा तैयार कर लिया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

2. भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने के लिए संस्थान के शासी निकाय के साथ भर्ती नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव को उठाने से पहले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हों, आमंत्रित की जाती हैं। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा नियमों/अपेक्षाओं के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरकर्ता को कमरा नं 504-ए, ए विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली -110011 में प्रस्तुत की जा सकती हैं और सॉफ्ट कॉपी sushil.mishra@nic.in को भेजी जा सकती है।

(संदीप ढांडा)
अनुभाग अधिकारी, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23062412